# सिद्धार्थनगर पुलिस

## प्रेस नोट दिनांक 10.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

**◆थाना बांसी/पथरा बाजार पुलिस व जनपदीय एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान ₹25,000/- का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार।**

**◆अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस तथा 01 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद मोबाइल फोन तथा ₹1050/- नकद।**

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण व संतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में मय स्वाट टीम के साथ दिनांक 09/10.06.2025 की रात्रि को अपराध एंव अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 126/2025 धारा 2(ख)(17) एवं 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के आरोप में वांछित तथा ₹25,000/- इनामिया बदमाश जुबेर अंसारी पुत्र गामा निवासी पिपरा रामलाल थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर से बांसी-पथरा मार्ग पर बहद ग्राम बैदोली के नहर के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुआ जिसमे बदमाश जुबेर अंसारी पुत्र गामा के दाहिने पैर में गोली लगी है। जिसे दवा ईलाज हेतु बांसी अस्पताल लाया गया। एस0ओ0जी एवं प्रभारी निरीक्षक बांसी टीम को किसी प्रकार की हानि नही हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बांसी में मु0अ0स0 133/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01-जुबैर अंसारी पुत्र गामा अंसारी निवासी पिपरा रामलाल थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

**01.मु0अ0स0 10/2025 धारा 3/5/8 गो वध निवारण अधिनियम थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।**

**बरामदगी का विवरण-**

**01.01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस।**

**02.01 अदद मोटर साइकिल।**

**03.01 अदद मोबाइल फोन तथा 1050/- रू. नकद।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

**01.संतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।**

**02. भाग्यवती पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर मय टीम।**

**03.उ0नि0 जीवन त्रिपाठी एसओजी प्रभारी मय टीम जनपद सिद्धार्थनगर।**

**04.उ0नि0 शम्स जावेद खान,रामप्रताप सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।**

**05.मुख्य आरक्षी सुनील दूबे, योगेन्द्र यादव थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।**

**06.आरक्षी पवन कुमार, मनोज यादव, शैलेश कुमार थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।**

04.हे0का0 राजीव शुक्ला, मनोज राय, दिलीप कुमार, आशुतोषधर दूबे,

05.का0 छविराज यादव, का0 सत्येन्द्र यादव, का0 रोहित चौहान एसओजी टीम सिद्धार्थनगर।

# प्रेस नोट दिनांक 10.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

**◆थाना जोगिया उदयपुर पुलिस द्वारा भाई व भतीजे पर लाईसेंसी रिवाल्वर से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया।**

**02. कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेन्सी रिवाल्वर व 01 अदद शस्त्र लाइसेन्स, 09 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस व 02 अदद मिस कारतूस बरामद।**

डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर अनूप कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर दिनांक 09.06.2025 को पंजीकृत मु0अ0सं0 97/2025 धारा 115(2)/109(1)/352/351(3)/333/324(4) बीएनएस थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर मे वाछिंत अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रामचरितर साकिन कटहना थाना जोगिया उदयपुर को थानाक्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटहना के पास से 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

**01.**विजय कुमार पुत्र राम चरितर निवासी कटहना थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण-

01.**01** अदद लाइसेन्सी रिवाल्वर 02.एक अदद शस्त्र लाइसेन्स

03.09 अदद जिन्दा कारतूस 04.02 अदद खोखा कारतूस

05.02 अदद मिस कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण---

01.उ0नि0 कपिलमुनी यादव थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

02.आरक्षी विरेन्द्र यादव, प्रमोद यादव, विकास सिंह थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट दिनांक 10.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर**

**◆मिशन शक्ति फेज-5.0 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, शक्ति दीदी अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम में थाना मोहाना की महिला बीट पुलिस अधिकारी/शक्ति दीदी द्वारा थानाक्षेत्र में बालिकाओं/महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त।**

**डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता/ पिंक कोबरा (मिशन शक्ति) फेज-05 अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 10.06.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत थाना मोहाना पर नियुक्त महिला बीट पुलिस अधिकारी/शक्ति दीदी द्वारा थानाक्षेत्र की बालिकाओं /महिलाओ को सुरक्षा के सम्बन्ध मे जागरूक किया गया तथा महिलाओं, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति, महिला सुरक्षा तथा साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।**

**प्रेस नोट दिनांक 10.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर**

**◆थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।**

**डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशान्त कुमार प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी डुमरियागजं बृजेश कुमार वर्मा के निर्देशन मे एवं थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2025 को वाद सं0 1205/2019 धारा 406, 419,420 भादवि थाना भवानीगंज न्यायालय जीएम डुमरियागजं से सम्बन्धित वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।**

**गिरफ्तार वारंटी का विवरणः-**

**01.जगदीश प्रसाद पुत्र दुखहरन गुप्ता निवासी परसा खुर्द बुजुर्ग दरिया जंगल थाना सोनहा जनपद बस्ती ।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

**01.उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।**

**02.हे0का0 मुकुन्द चौहान थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।**

# प्रेस नोट दिनांक 10.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

**◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी।**

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 10.06.2025 को एण्टी रोमियो स्कवाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र कपिलवस्तु मे कपिवस्तु पार्क, अलीगढवा, वर्डपुर चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01.महिला मुख्य आरक्षी  कंचन सिंह एंटी रोमियो स्कवाड जनपद सिद्धार्थनगर।

02.महिला मुख्य आरक्षी सुनीता यादव एंटी रोमियो स्क्वाड जनपद सिद्धार्थनगर।

03.आरक्षी श्री प्रकाश चौरसिया एंटी रोमियो स्कवायड जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट दिनांक 10.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।**

**◆अपहरण कर हत्या से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता व 01 अभियुक्त को थाना ढ़ेबरुआ पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।**

**दिनांक 05/06/2025 को श्रीमती संगीता पत्नी कन्नन निवासी रेहकट नजरगढ़वा थाना देबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना ढेबरुआ पर अंकित कराई गई थी कि उनके पति दिनांक 02.06.2025 से गुमशुदा हैं थाना स्थानीय पर गुमशुदगी की दर्ज की गयी। डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशान्त कुमार प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ सुजीत कुमार राय के निर्देशन मे थाना ढ़ेबरुआ पुलिस द्वारा जांच के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि संगीता द्वारा अपने पति को कहीं साथ लेकर जाया गया है कड़ाई से पूछताछ पर संगीता ने स्वीकार किया कि खुद व उसका प्रेमी अनिल शुक्ला उर्फ विवेक पुत्र आजा राम शुक्ला निवासी लक्षणपुर धर्मपुर थाना ललिया जनपद बलरामपुर ने मिलकर गुमशुदा कन्नन को गाड़ी पर बैठकर ले जाकर राप्ती नदी के किनारे नशीला पदार्थ खिलाकर उसे नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में थाना देबरुआ में दिनांक 9/6/2025 को गुमशुदा कन्नन के भाई बाबूलाल पुत्र स्व गोली निवासी रेहकट थाना देबरुआ के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 104 /2025 धारा 140 (1) BNS बनाम 01- संगीता पत्नी कन्नन, 2-अनिल पुत्र आज्ञाराम शुक्ला पंजीकृत कराया है। विवेचना कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। आज दिनांक 10.06.2025 को गुमशुदा कन्नन का शव ग्राम सेमरहना की सीमा में राप्ती नदी के किनारे कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में कंकाल के रूप में बरामद हुआ है कंकाल पर पहने कपड़े के आधार पर मृतक कन्नन के परिवार जनों द्वारा उसकी पहचान कन्नन के रूप में की गई है। कोतवाली पुलिस बलरामपुर द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ मय टीम मौजूद है दोनों अभियुक्त संगीता व उसका प्रेमी अनिल शुक्ला पुलिस के हिरासत में है उनसे पूछताछ की जा रही है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।**

**अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण-**

**01- संगीता पत्नी कन्नन निवासी रेहकट नजरगढ़वा थाना देबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।**

**02- अनिल शुक्ला उर्फ विवेक पुत्र आजा राम शुक्ला निवासी लक्षणपुर धर्मपुर थाना ललिया जनपद बलरामपुर।**

**प्रेस नोट दिनाँक 10.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।**

**◆थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टीगण को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।**

**डां अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में शुभेंदु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मिश्रौलिया नरायन लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2025 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसी द्वारा जारी वाद संख्या 2031/23 धारा 147,323,325, 427, 504,506 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वारण्टीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।**

**गिरफ्तार वारण्टीगण का विवरणः-**

**01.श्रवण कुमार पुत्र जगदीश कुर्मी साकिनान बनकटा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।**

**02.श्यामू उर्फ अजीत पुत्र विश्वनाथ साकिनान बनकटा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-**

**01.उ0नि0 छविनाथ राम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।**

**02.आरक्षी सुकेश शाह थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।**

**प्रेस नोट- दिनांक 10.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।**

**◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में की गयी अपराध गोष्ठी।**

**◆अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।**

**पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 10.06.2025 को पुलिस लाइन स्थित सभाकक्ष में अपराध गोष्ठी किया गया। अपराध गोष्ठी की शुरुआत सैनिक सम्मलेन से हुआ। सर्वप्रथम पूर्व सैनिक सम्मलेन में उठे समस्याओं के समाधान के बारे में प्रतिसार निरीक्षक ने बताया तथा सम्मलेन में उपस्थित समस्त थानों से आये थानाध्यक्ष व कर्मचारीगण की समस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा आगामी त्यौहार के दृष्टिगत तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु के दृष्टिगत कृत कार्यवाही की समीक्षा तथा शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, आपरेशन त्रिनेत्र के तहत स्थापित सीसीटीवी कैमरो की क्रियाशीलता, डिजिटल वॉरियर बनाये जाने की कार्यवाही की समीक्षा, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित अभियोगों की समीक्षा, सम्पत्ति व महिला उत्पीड़न सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही, गुमशुदा/लापता व बरामदगी हेतु शेष बच्चो की बरामदगी के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही तथा लम्बित मुकदमों में एकत्रित साक्ष्य एवं गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने व गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही तथा बीपीओ द्वारा अंकित कराये गये बीट सूचना की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।**

**उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी अग्नि शमन, अभियोजन अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञान शाखा, निरीक्षक रेडियो शाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, वाचक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी यू0पी0-112, समस्त शाखा प्रभारी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।**